अनुलग्नक-6

मार्गदर्शन नोट- निवेशकों के लिए एक्सचेंज (एक्सचेंजों) पर ट्रेडिंग करने के लिए योग्य और नहीं करने योग्य बातें

आपके द्वारा ट्रेडिंग शुरू करने से पहले
1. सुनिश्चित करें कि आप केवल SEBI में पंजीकृत बिचौलियों के साथ और उनके माध्यम से सौदे करते हैं। आप स्टॉक एक्सचेंज www.exchange.com और SEBI की वेबसाइट www.sebi.gov.in पर उपलब्ध सूची से उनके SEBI पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या की जाँच कर सकते हैं। 2. सुनिश्चित करें कि आपने KYC फॉर्म को पूरी तरह भरा है और KYC फॉर्म में खाली स्थानों को काट दिया है। 3. सुनिश्चित करें कि आपने सभी अनिवार्य दस्तावेजों अर्थात स्टॉक ब्रोकर के अधिकार एवं दायित्व, जोखिम प्रकटीकरण दस्तावेज़, नीति एवं प्रक्रिया दस्तावेज को पढ़ लिया है। 4. सुनिश्चित करें कि आपने अपने और स्टॉक ब्रोकर के बीच सहमत स्वैच्छिक खंडों/उपबंधों, यदि कोई हो, को पढ़, समझ लिया है एवं उसके बाद हस्ताक्षर कर दिए हैं। ध्यान दें कि आपके और स्टॉक ब्रोकर के बीच हुई सहमति के अनुसार खंडों/उपबंधों को आपकी सहमति के बिना बदला नहीं जा सकता है। 5. ट्रेडिंग के लिए आप पर ब्रोकर द्वारा लगाए गए सभी ब्रोकरेज, कमीशन, शुल्क एवं अन्य प्रभारों और SEBI/स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा निर्दिष्ट प्रासंगिक प्रावधानों/दिशानिर्देशों के बारे में स्पष्ट जानकारी प्राप्त करें। 6. स्टॉक ब्रोकर से आप द्वारा निष्पादित सभी दस्तावेजों की एक प्रति निःशुल्क प्राप्त करें। 7. यदि आप अपने बैंक और डीमैट खाते को संचालित करने के लिए, स्टॉक ब्रोकर को अधिकृत करते हुए उसके पक्ष में पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी/मुखतारनामा (POA) निष्पादित करने की इच्छा रखते हैं तो कृपया इस संबंध में SEBI/एक्सेचेंजों द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देश देखें।
लेनदेन एवं निपटान
8. स्टॉक ब्रोकर इलेक्ट्रानिक कंट्रैक्ट नोट (ECN) जारी कर सकता है यदि विशेष रूप से लिखित में आपके द्वारा अधिकृत किया गया हो। इसके लिए आपको स्टॉक ब्रोकर को अपनी ईमेल आईडी बतानी होगी। यदि आप कंम्प्यूटर की जानकारी नहीं रखते हैं तो ECN का चयन करें। 9. किसी को भी अपने इंटरनेट ट्रेडिंग खाते का पासवर्ड न बताएं। 10. स्टॉक ब्रोकर को कोई नकद भुगतान न करें। 11. स्टॉक ब्रोकर के पक्ष में आदाता खाता (अकाउंट पेयी) चेक द्वारा भुगतान करें। सब-ब्रोकर के नामे चेक जारी न करें। सुनिश्चित करें कि आपके पास तिथि, स्क्रिप, मात्रा, किस बैंक/डीमैट खाते में या किस बैंक/डीमैट खाते से इस धन या प्रतिभूतियों को जमा किया जाता है, का उल्लेख करते हुए स्टॉक ब्रोकर के साथ आपके भुगतान/प्रतिभूतियों के जमा का दस्तावेजीकृत साक्ष्य हो। 12. ध्यान दें कि ट्रेड सत्यापन की सुविधा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों पर उपलब्ध है, जहाँ कंट्रैक्ट नोट में उल्लिखित ट्रेड के विवरणों को सत्यापित किया जा सकता है। जहां वेबसाइट पर दिए गए ट्रेड विवरण कंट्रैक्ट नोट में उल्लिखित विवरणों के साथ मेल नहीं खाते हैं तो तुरंत संबंधित स्टॉक एक्सचेंज के निवेशक शिकायत प्रकोष्ठ से सम्पर्क करें। 13. यदि आपने खाते का संचालन करने, धन का भुगतान करने या प्रतिभूतियों की डिलीवरी करने (मामले के अनुसार) के लिए विशेष अधिकार दिए हैं, तो आपको एक्सचेंज से भुगतान की रसीद प्राप्त होने से एक कार्यदिवस के भीतर उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है। इस प्रकार, स्टॉक ब्रोकर आपके लिए निम्नलिखित स्थितियों के विषयाधीन खाते का संचालन करेगाः क) आपके द्वारा दिया गया ऐसा प्राधिकार, केवल आपके द्वारा हस्ताक्षरित होगा और इसमें वह खंड/उपबंध शामिल होगा जिसे आप किसी भी समय रद्द कर सकते हैं। ख) निधियों एवं प्रतिभूतियों का वास्तविक निपटान, आपकी प्राथमिकता के आधार पर, एक कैलेंडर तिमाही या माह में कम से कम एक बार स्टॉक ब्रोकर द्वारा किया जाएगा। खाते का निपटान करते समय, स्टॉक ब्रोकर आपको निधियों के ग्राहक लेजर

से सारांश एवं निधियों एवं प्रतिभूतियों की सभी प्राप्तियों/डिलीवरी को प्रदर्शित करने वाले प्रतिभूतियों के रजिस्टर से सारांश को शामिल करते हुए 'खाता विवरण' भेजेगा। इस विवरण में निधियों और प्रतिभूतियो के अवधारण एवं गिरवी रखे गये शेयरों के विवरणों का उल्लेख होगा।

ग) निपटान की तिथि पर, स्टॉक ब्रोकर बकाया देनदारियों की दिशा में अपेक्षित प्रतिभूतियों/निधियों को बनाए रख सकता है और एक्सचेंजों द्वारा निर्दिष्ट तरीके से गणना करते हुए अगले 5 ट्रेडिंग दिनों के लिए डेरिवेटिव मार्जिन देनदारियों को पूरा करने के लिए आवश्यक निधियाँ भी रख सकता है। नकदी बाजार में लेनदेन के संबंध में, स्टॉक ब्रोकर निपटान की तिथि पर और अगले दिन के कारोबार के लिए ग्राहकों के पास शेष धन एवं प्रतिभूतियों की देनदारियों का पूर्ण भुगतान रख सकता है, वह नकदी बाजार में इस तरह के निपटान के दिन किए गए लेनदेनों के मूल्य की सीमा तक निधियां/प्रतिभूतियाँ मार्जिन बनाए रख सकता है।

घ) मामले के अनुसार, आपको निधियों/प्रतिभूतियों या विवरण की प्राप्ति की तिथि से अधिमानतः 7 (सात) कार्य दिवसों के भीतर खाते या निपटान के विवरण से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद के बारे लिखित में सटॉक ब्रोकर के संज्ञान में लाने की आवश्यकता होती है। विवाद की स्थिति में, बिना कोई देरी किए प्रासंगिक सटॉक एक्सचेंजों के निवेशक शिकायत प्रकोष्ठ को मामले से लिखित रूप में सूचित करें।

14. यदि आपने खाते को संचालित करने के विकल्प का चयन नहीं किया है और धन/प्रतिभूतियों का भुगतान एक्सचेंजों से भुगतान प्राप्त होने के अगले कार्य दिवस में प्राप्त नहीं हुआ है, तो मामले के बारे में स्टॉक ब्रोकर से संपर्क करें। किसी भी विवाद के मामले में, सुनिश्चित करें कि आपने संबंधित स्टॉक एक्सचेंज के निवेशक शिकायत प्रकोष्ठ में लिखित रूप में तुरंत शिकायत दर्ज की है।
15. स्टॉक एक्सचेंजों से दिन के कारोबार के अंत में, SMS या ईमेल के माध्यम से ट्रेड पुष्टिकरण चेतावनी/लेनदेनों का विवरण प्राप्त करने के लिए, कृपया स्टॉक ब्रोकर के पास अपना मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी पंजीकृत कराएं।

ट्रेडिंग सदस्यता की समाप्ति के मामले में

16. यदि एक स्टॉक ब्रोकर अपनी सदस्यता का समर्पण कर देता है, उसे सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाता है या चूककर्ता (डिफॉल्टर) घोषित कर दिया जाता है; स्टॉक एक्सचेंज निवेशकों से केवल स्टॉक एक्सचेंजों के "ट्रेडिंग सिस्टम पर निष्पादित लेनदेनों से संबंधित" दावों को आमंत्रित करते हुए एक सार्वजनिक सूचना जारी करता है। सुनिश्चित करें कि आपने निर्धारित अवधि के भीतर और समर्थन दस्तावेजों के साथ संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों के समक्ष एक दावा दर्ज किया है।
17. स्टॉक बोकर के साथ जमा धन और/या प्रतिभूतियों के अनुसार सुरक्षा के बारें में जानें, विशेष रूप से एक डिफॉल्ट (चूक) या स्टॉक ब्रोकर के दिवालिया होने की स्थिति में, और उस हद तक, जहाँ तक आप ऐसे धन और/या प्रतिभूतियों की वसूली कर सकते हैं, उस संबंधित स्टॉक एक्सचेंज के उप-नियमों एवं विनियमों द्वारा शासित हो सकता है जहां ट्रेड निष्पादित किया गया था और जहाँ समय-समय पर प्रभावी निवेशक संरक्षण कोष की योजना लागू होती है।

विवाद/शिकायतें

18. कृपया ध्यान दें कि मध्यस्थता की कार्यवाहियों, स्टॉक ब्रोकरों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई और स्टॉक ब्रोकरों के खिलाफ निवेशकों की शिकायतों के विवरण संबंधित स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाते हैं।
19. यदि आपके मुद्दे/समस्या/शिकायत का निदान संबंधित स्टॉक ब्रोकर/सब-ब्रोकर द्वारा नहीं किया जाता है तो आप इस मामले को संबंधित स्टॉक एक्सचेंज के समक्ष ले जा सकते हैं। यदि आप अपनी शिकायत के निवारण से संतुष्ट नहीं हैं तो आप इस मामले को आगे SEBI के समक्ष ले जा सकते हैं।
20. ध्यान दें कि SEBI द्वारा सभी स्टॉक ब्रोकर/सब-ब्रोकरों के लिए विशेष रूप से शिकायत दर्ज करने के उद्देश्य से शिकायत निवारण प्रभाग/अनुपालन अधिकारी की ईमेल आईडी का उल्लेख करना अनिवार्य किया गया है।